न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 82/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/00199

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री राहुलसिंह पुत्र श्री ओंकारसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बी–101, वीर दुर्गादास नगर, पाली तहसील पाली जिला पाली		1. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत भादरलाउ पंचायत समिति रानी जिला पाली 2. श्रीमती तीजोदेवी पत्नी श्री रमेश कुमार निवासी देवली पाबूजी 3. श्री पुष्पा देवी पत्नी श्री मांगीलाल निवासी देवली पाबूजी 4. श्री मेहला देवी पत्नी श्री नरेश कुमार निवासी देवली पाबूजी तमाम जातिगण चौधरी तहसील रानी जिला पाली 5. श्रीमती गेरी देवी पत्नी श्री वजाराम निवासी वणदार

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

अधिवक्ता प्रार्थी अनु.

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 14-12-2022

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत भादरलाउ के आदेश क्रमांक ग्राम.प./2021/168 दिनांक 30.09.2021 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को बहस हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने एवं सख्त हिदायत के बाद भी वक्त बहस उपस्थित नही होने से अधिवक्ता अप्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी में उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत भादरलाउ ने अप्रार्थी तीजो देवी, पुष्पा देवी, गेरी देवी व महेला देवी के पक्ष में प्रार्थी के हक अधिकार की खरीदसुदा भूमि के बाबत एक निर्माण स्वीकृति क्रमांक 168 दिनांक 30.9.2021 के द्वारा जारी की है, जिस भूमि में निर्माण स्वीकृति जारी की गई, उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा पंजीबद्ध विक्रय विलेख के वास्तविक पूर्व स्वामी से खरीद की है। प्रार्थी वादग्रस्त भुखण्ड संख्या 20, भुखण्ड संख्या 21 व भुखण्ड संख्या 22 का एकमात्र मालिक व स्वामी है। उक्त पूर्व विवादग्रस्त भुमि का उपयोग व उपभोग जयन्तिलाल, नरेश व अशोक कुमार के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय विलेख जारी किये गये है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के वास्तविक व विधिक स्वामी प्रार्थी व गोरधनसिंह है। अप्रार्थीगण ने विधि विरूद्ध तरीके से फर्जी व कुटरचित दस्तावेज के तैयार किये है। जो प्रथमदृष्टया ही फर्जी है। ग्राम पंचायत ने पूर्व में दिनांक 15.09.2021 को

अति. जिला कलक्टर, पाली

अप्रार्थीगण को निर्माण स्वीकृति देने से मना कर दिया तथा इसके पश्चात जैर निगरानी आदेश के द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। जो काबिल खारिज है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत भादरलाउ में उनके द्वारा अपने कब्जासुदा, पट्टासुदा भूखण्ड पर निर्माण करने बाबत निवेदन करने पर उनके नाम निर्माण स्वीकृति जारी की गई, जिसके पश्चात दिनांक 15.09.2021 को उक्त निर्माण स्वीकृति आदेश पर रोक लगा दी गई। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा उक्त संबंध में ग्राम पंचायत में अपना जवाब पेश करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पुनः बाद सुनवाई दिनांक 30.09.2021 को जरिये आदेश क्रमांक 168 दिनांक 30.09.2021 के द्वारा उनके कब्जासुदा, पट्टासुदा भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने हेतु पेश की है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारीज फरमावें।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ग्राम पंचायत भादरलाउ के आदेश क्रमांक 168 दिनांक 30.09.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त आदेश के द्वारा ग्राम पंचायत ने अपने ही पूर्व आदेश दिनांक 15.09.2021 के द्वारा जारी स्थगन को रोककर, उक्त भूमि के संबंध में दस्तावेज जांच करने के पश्चात ग्राम पंचायत ने अप्रार्थीगण को पुनः निर्माण स्वीकृति जारी की है। ग्राम पंचायत भादरलाउ ने दिनांक 15.09.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण के नाम दिनांक 22.06.2021 को जारी निर्माण स्वीकृति को स्थगित किया है, अगर प्रार्थी को उक्त निर्माण स्वीकृति से कोई परेशानी होती, तो प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.06.2021 को जारी निर्माण स्वीकृति के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी निगरानी याचिका में यह स्पष्ट करने में असफल रहे है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त निर्माण स्वीकृति उनके भूखण्ड के लिए जारी की गई है तथा उनके स्पष्टतया हित प्रभावित होते है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से पेश नहीं हुए है। अतः उक्त आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14-12-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली